-1-

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

55

CF 151/-

श्रीमान सदस्य राजस्वमण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश केम्प सागर म0 प्र0

शिवदयाल तनय वित्ते लुहार निवासी
ग्राम भेलसी तह0 बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़
---------------आवेदक/रिवीजनकर्ता

बनाम

हरिशंकर तनय नाथूराम शुक्ला निवासी ग्राम भेलसी
तह0 बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0 प्र0
-----------------अना0/रिस्पा0

R 2208-II/06

राजस्व रिवी0 नं /89/ सन् 06, 07

MPLR

पुनरीक्षण तरफ से आवेदक/रिवीजनकर्ता अन्तर्गत 50

धारा 91 पंचा राज अधि0 1993 सहपठित रूल 5

म0 प्र0 पंचा अपील एवं रिवीजन एवं धारा 151 सी0

पी0 सी0

28/4/06

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता आदेश दिनांक 12-10-06 पारित द्वारा श्रीमान एडीशनल कमिश्नर सागर संभाग सागर पक्षकारान । शिवदयाल बनाम हरिशंकर। के प्रकरण क्रमांक 61 अ/89 सन् 06, 07 में जिसके द्वारा विद्वान एडीशनल कमिश्नर ने मूल प्रस्ताव ग्राम पंचा भेलसी का दिनांक 12-8-05 तथा श्रीमान अनुविभागीय बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 19/अपी0/05 को गलत तरीके से विचार में लेकर तथा श्रीमान कलेक्टर ।एडी0। के आर्डर दिनांक 31 जुलाई 06 के विरूद्ध किए गए प्रकरण क्रमांक 10/अपी0/05 -06 के विरूद्ध दायर पुनरीक्षण को ग्राह्य योग्य ना मानकर निरस्त कर दिया, के विरूद्ध अन्य आधारों के अलावा निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

।1। यह कि विद्वान एडीशनल कमि0 ने इस महत्वपूर्ण तथ्य जो रिवीजन के पैरा नं 2 में लिखा था उस पर ध्यान नहीं दिया कि जब मूल प्रस्ताव 12-8-05 का तथा उसके विरूद्ध दायर अनु0 बल्देवगढ़ का अपील प्रकरण क्रमांक 19/अपी0/05 को मध्यप्रदेश पंचा राज अधि0 के अन्तर्गत मूल रूप से पंचा राज अधि0 में चलो तो विद्वान कलेक्टर ने उस आदेश के विरूद्ध रिवी0 रिवी0 क्रमां क10/अपी0 05-06 को म0 प्र0 लैण्ड रेवेन्यु कोड की धारा 44।1। के अन्तर्गत क्यों व कैसे ग्रहण कर लिया एवं उसी बात को विद्वान एडीशनल कमि0 ने अपने प्रश्नाधीन आदेश में लिखकर संगीन गलती की है ।

28/11/06

पठित नियम

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2208/II/2006 निगरानी जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-2-2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्रकरण कमांक 61/अ-89/2006-07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12-10-2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता-1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण पुजारी नियुक्ति सें संबंधित है। जिसमें आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23-11-2005 के विरूद्ध कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष अपील प्र0क0 10/अपील/2005-06 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 31-7-2006 द्वारा इस निर्देश के साथ ग्राम पंचातय भेलसी को प्रत्यावर्तित की गई कि, म0प्र0 शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में पुजारी नियुक्ति की कार्यवाही करें। कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर, सभांग सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 61/अ-89/2006-07 पर दर्ज की जाकर, आदेश दिनांक	

प्रकरण कमांक 2208/ ।।/2006 निगरानी जिला टीकमगढ

12–10–2006 के द्वारा समाप्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने इस न्यायालय मे निगरानी प्रस्तुत की है।

विचारोपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होने से आवेदक का प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हो, प्रकरण दाखिला रिकार्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर